न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 85 / 2022

उनवान

मूला पुत्र हजारी जाति भांवी निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद

–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 गोपाल,
2. पप्पू,
3. लाली पुत्र छोटू,
4. भागचन्द,
5. बबलू पुत्र रामसुख,
6. शारदा पुत्री रामसुख
7. सुरेश पुत्र रामसुख,
8. सीता पुत्री रामसुख,
9. हीरा पत्नि रामसुख,
10. हीरा पत्नि हनुमान,
11. शिवजी पुत्र हनुमान,
12. माया पुत्री हनुमान,
13. ग्यारसी पत्नि रामचन्द्र,
14. लाला पुत्र रामचन्द्र समस्त जातिगण भांवी समस्त निवासीगण देराठू तहसील नसीराबाद,
15. मैनेजर ओरिएन्ट बैक आफ कामर्स शाखा सनोद,
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
17. कन्हैया बंदेल पुत्र मोहनलाल बूंदेल जाति कोली निवासी 1878 गाडी मौहल्ला, नसीराबाद

–: अप्रार्थीगण :– 2 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
4, 5, 7, 9, 13 व 14 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
17 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
16 जरियं राज0 पैरोकार
शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 जा0 काश्तकारी अधि0 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:43:26 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :– दिनांक :– 28.9.22

–2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के निम्न आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3562	3–10–0	3748 मिन	0–18–0	1435	1.29
		3748 मिन	4–10–0	1436	1.20

उपरोक्त आराजी मिसल खतौनी जमाबंदी सन फसली 1359 के पुराने खसरा नम्बर 3562 रकबा 3–10– व 3564 रकबा 4–10–0 के खातेदार बींजा पुत्र महाराम जाति बलाई दर्ज चला आ रहा है। बींजा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस हजारी की भी मृत्यु हो गयी का वारिस प्रार्थी मूला पुत्र हजारी है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। आराजी मुतनाजा के पूर्व इन्द्राज को परिवर्तित करते हुये बिना किसी कारण वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी तथा हाल खसरा नम्बर 1435 व 1436 को भी गलत तरीके से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। हाल जमाबंदी में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 14 आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे हैं तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 17 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी हाल खसरा नम्बर 1435 की आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 24.08.22 को उसके द्वारा क्रय कर ली गय है। अतः उसे अप्रार्थी संख्या 17 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 17 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी के नाम अधिकार अभिलेख में कभी भी दर्ज नही रही है। जवाबकर्ता द्वारा आराजी मुतनाजा विधिवत तरीके से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा के सम्पूर्ण रकबे की स्थिति स्पष्ट नही की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के नाम आराजी मुतनाजा विधिवत दर्ज हुयी है। प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तकरण को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू, रामचन्द्र व रामसुख पि0 मांगू के नाम नियमन की गयी। तथा नामान्तकरण संख्या 373 के द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। उक्त आराजी का नियमन उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 07.7.1984 को किया गया। आराजी मुतनाजा पर जावबकर्ता के पूर्वज नियमन दिनांक से पूर्व ही काबिज काश्त है। उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में कभी भी नही रही। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा को हडपने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 9, 13 व 14 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू, रामचन्द्र व रामसुख पि0 मांगू के नाम नियमन की गयी। तथा नामान्तकरण संख्या 373 के द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। उक्त आराजी का नियमन उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 07.7.1984 को किया गया। आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता के पूर्वज नियमन दिनांक से पूर्व ही काबिज काश्त है। उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में कभी भी नही रही। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा को हडपने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:43:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा 1435 रकबा 1.29 व 1436 रकबा 1.20 हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 10 से 14 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वर्किग खसरा नम्बर 3748 रकबा 15–8–0 थे जो नामान्तकरण संख्या 373 दिनांक 07.07.1984 द्वारा छोटू, रामचन्द्र, रामसुख पि0 मांगू के नाम जरियें नियमन चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2015–18 में उक्त आराजी सिचायचक दर्ज है। प्रार्थी द्वारा फसली सन 1349 पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 3562 रकबा 8–10–0 की आराजी बींजा पुत्र महाराम के नाम दर्ज थी। उक्तानुसार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर जिले में लागू दिनांक 15.06.1958 को आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वज खातेदार/काबिज काश्त नही होने के कारण उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2015–18 में सिवायचक दर्ज की गयी तथा वर्किग जमाबंदी में कब्जे काश्त के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के पूर्वज को विधिवत नियमन की गयी। उक्त नियमन की पालना में ही वर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के पूर्वज के नाम दर्ज की गयी। प्रार्थी का कथन है कि वर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी कारण हाल इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण कर दिया है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से हाल इन्द्राज प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज को किये गये नियमन आदेश व नामान्तकरण के विरूद्व सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही नही की है। उभयपक्ष आराजी मुतनाजा पर आना–अपना कब्जा बताते है किन्तु कब्जे के तथ्य तथा राजस्व अभिलेख का विस्तृत विवेचन मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 रेकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा आराजी मुतनाजा विधिवत क्रय की है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व बिना किसी ठोस कारण व्यादेश जारी करना न्यायोचित नही है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी जरिये नियमन दर्ज की गयी है। प्रार्थी द्वारा उक्त नियमन आदेश के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। 1984 को हुये उक्त नियमन के विरूद्व प्रार्थी द्वारा वर्तमान में वाद पेश किया है। दोनो ही पक्ष आराजी मुतनाजा पर अपना–अपना कब्जा होने का कथन करते है जिसका निर्णय मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रार्थी आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा प्रथम दृष्टया सिद्व नही कर पाये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किये जाने से प्रार्थी को क्या अपूरणीय क्षति की संभावना है यह प्रार्थी सिद्व करने में असफल रहा है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के विपक्ष में है। तदनुसार

——4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:43:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम देराढू के हाल खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.29 व 1436 रकबा 1.20 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:43:26 IST
Reason: SelfAttested